न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सुपौल।

SC/ST- 140/2022

SC/ST P.S. Case No. 79/2022

23/02/24

अभिलेख आज संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई वास्ते प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचिका सावित्री देवी के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त 1. छोटे लाल मेहता, 2. लालदेव मेहता, 3. शिव नारायण मेहता, 4. विद्यानंद मेहता, 5. तारानंद मेहता, 6. मंजू देवी, 7. सुनिता देवी, 8. शोभा देवी, 9. रूबी देवी, 10. राधा देवी के विरूद्व धारा 341, 323, 324, 504, 506/34 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(r)(s) SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त 1. मंजू देवी, 2. सुनीता देवी, 3. शोभा देवी, 4. रूबी देवी, 5. राधा देवी को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए नामजद अभियुक्त 1. तारानंद मेहता, 2. शिव नारायण मेहता के विरूद्ध धारा 341, 323, 504/34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s)/3(2)(va) SC/ST एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र सं0 18/2023 दिनांक 19/02/2023 समर्पित किया गया और अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया। तत्पश्चात नामजद अभियुक्त 1. छोटे लाल मेहता, 2. लाल देव मेहता, 3. विद्यानंद मेहता के विरूद्ध मूल आरोप पत्र की धाराओं के अंतर्गत पूरक आरोप पत्र सं0 47/23 दिनांक 24/04/2023 समर्पित किया गया।

प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से मूल एवं पूरक आरोप पत्र की कंडिका 11 में वर्णित सभी अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही वास्ते पर्याप्त आधार है।

अतः मूल एवं पूरक आरोप पत्र की कंडिका 11 में वर्णित अभियुक्तगण **1. तारानंद मेहता, 2. शिव नारायण मेहता, 3. छोटे लाल मेहता, 4. लाल देव मेहता, 5. विद्यानंद मेहता के विरूद्ध धारा 341, 323, 504/34 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s)/3(2)(va) SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।** वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तों के उपस्थिति हेतु समन्न निर्गत करें। दिनांक.....14/05/24..... उपस्थिति वास्ते।

Nishi Kant Thakur 23/2/24

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–
सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0),
सुपौल